भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-261
बुधवार, 3 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात् वेतन भोगियों की बेरोजगारी

261. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च से दिसम्बर, 2020 तक, रोजगार ढूढने वाले या काम करने के लिए उपलब्ध वेतनभोगियों का राज्य/योग्यता/लिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान नौकरियां गवां देन वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को हुई प्रत्यक्ष आय की हानि के लिए लाभ अन्तरण के माध्यम से कोई मुआवजा प्रदान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) नेशनल करियर सर्विस (एन.सी.एस.) के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों का राज्य/योग्यता/लिंग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मार्च, 2020 से एन.सी.एस के माध्यम से नौकरियों, नियोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने और अर्हता के अनुसार रोजगार दिलाने की दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित किए जाते हैं। यह रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट (https//www.mospi.nic.in) पर उपलब्ध है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए सरकार मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान कर रही है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ता को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

(घ एवं ड.): सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

हायरिंग ट्रैकिंग कार्यक्षमता एनसीएस पर उपलब्ध है, हालांकि नियोक्ताओं के लिए पोर्टल पर हायरिंग के आंकड़ों का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। आदिनांक 80 लाख से अधिक रिक्तियों को एनसीएस पोर्टल के माध्यम से जुटाया गया है।

एनसीएस ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मार्च से दिसंबर 2020 तक विभिन्न पहल की हैं।

एनसीएस पोर्टल ने एक ऑनलाइन रोजगार मेला मॉड्यूल जारी किया, जहां रोजगार पोस्टिंग से लेकर उम्मीदवार के चयन तक का पूरा चक्र पोर्टल पर पूरा किया जा सकता है। इन नौकरियों में नौकरी करने वालों को सीधे पहुंच देने के लिए एनसीएस पोर्टल होम पेज पर वर्क फॉर होम जॉब्स और ऑनलाइन प्रशिक्षण का एक विशेष लिंक बनाया गया था। नौकरी चाहने वालों द्वारा वीडियो प्रोफ़ाइल अपलोड करने की सुविधा एनसीएस पोर्टल पर प्रदान की गई है। नौकरी चाहने वालों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ऑन लाइन सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण भी पोर्टल पर प्रदान किया गया है। एनसीएस पर सभी सेवाएं मुफ्त हैं।

*****